संख्या- 164/2016/664/22-4-16-48(99)/15

प्रेषक,

डा0 गिरीश चन्द्र खरे,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक- 30 सितम्बर,2016

विषय- प्रदेश की कारागारों में निरूद बन्दियों को शुद पेयजल की सुविधा प्रदान किये जाने के लिए आर0ओ0 प्लाण्ट स्थापित किये जाने हेतु प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-13504/आधु0-1/आर0ओ0/2015, दिनांक- 04 मई, 2016 एवं पत्र संख्या-13980/आधु0-1/आर0ओ0/2015, दिनांक-11 मई,2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय प्रदेश की कारागारों में निरूद बन्दियों को शुद पेयजल की सुविधा प्रदान किये जाने हेतु दितीय चरण में प्रदेश की अवशेष 28 कारागारों में 2000 लीटर प्रति घण्टा क्षमता के आर0ओ0 प्लाण्ट स्थापित किये जाने हेतु कुल रू0 1,30,00,000/- (रूपया एक करोड़ तीस लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) आर0ओ0 प्लाण्ट की स्थापना निविदा की कार्यवाही के उपरान्त प्रतिष्ठित कम्पनी/फर्मों से प्राप्त न्यूनतम दरों के अनुसार ही कराया जाय।

(2) उक्त धनराशि का व्यय/उपयोग वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित नियमों तथा समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत नियमानुसार समस्त औपचारिकाओं को पूर्ण करते हुए किया जायेगा।

(3) आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा आपूर्ति किये गये आर0ओ0 प्लाण्ट की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने का दायित्व महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एंव सुधार सेवाएं एवं सम्बन्धित संस्था का होगा।

(4) स्वीकृत उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र नियमानुसार शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) आर0ओ0 प्लाण्ट का क्रय करते समय क्रय सम्बन्धी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का दायित्व महानिरीक्षक कारागार का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2017 तक कर लिया जाय।

(7) स्वीकृत धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(8) धनराशि जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत की जा रही है उसका उपयोग उसी पर व्यय किया जायेगा। व्यय के पश्चात यदि कोई धनराशि शेष बचती है तो वह राजकोष में जमा की जायेगी।

3- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक " 4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय- 800-अन्य व्यय-15-कारागारों में शुद पेयजल हेतु आर0ओ0 की व्यवस्था-12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण" मद के नामे डाला जायेगा ओर उक्त लेखाशीर्षक के अन्तर्गत उपलब्ध बजट प्रावधान से वहन किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक- 22.03.2016 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 गिरीश चन्द्र खरे)
अनु सचिव।

संख्या- 164/2016/664(1)/22-4-16-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(4) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

(5) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।

(6) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

(7) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 गिरीश चन्द्र खरे)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in